रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 10] नई दिल्ली, शुक्रवार जनवरी 15, 1971/पौष 25, 1892

No. 10] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 15, 1971/PAUSA 25, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 15th January 1971

G.S.R. 94.—In pursuance if sub-rule (1) of rule 9 of the Post Office Savings Banks Rules 1965, the Central Government hereby notifies that, with effect from the 1st January, 1971 and until further orders, on the balance at credit of an account specified in column (1) of the Table below, interest shall be allowed at the rate specified in the corresponding entries in column (2) of the said Table:—

TABLE

Account	Rate of interest per annum
(1)	(2)
1. Single account	4 per cent
2. Joint account	4 per cent
3. Public account	3½ per cent on any balance not exceeding Rs. 50,000 and 3 per cent on the remainder of the balance.
4. Security Deposit account	3 per cent
5. Provident Fund account	4 per cent
6. Any other account	3 per cent

[No. F. 2(1)-NS/71(i).]

वित्त मंत्रालय

(अर्थ विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 15 जनवरी 1971

सा० का० नि० 94.—डाकघर बचत बैंक नियम, 1965 के नियम 9 के उपनियम (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि, 1 जनवरी, 1971 से और आगे आदेश होने तक, निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट किसी खाता में जमा अतिशेष पर ब्याज, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट दर पर अनुज्ञात किया जाएगा :—

सारणी

खाता	ब्याज की दर प्रतिवर्ष
(1)	(2)
1. एकल खाता . . .	4 प्रतिशत
2. संयुक्त खाता . . .	4 प्रतिशत
3. लोक खाता . . .	किसी अतिशेष पर जो 50,000 रु० से अधिक न हो $3\frac{1}{2}$ प्रतिशत और शेष अतिशेष पर 3 प्रतिशत
4. प्रतिभूति निर्पेक्ष खाता . .	3 प्रतिशत
5. भविष्य निधि खाता . .	4 प्रतिशत
6. कोई अन्य खाता .	3 प्रतिशत

[सं० फा० 2(1)—रा० ब०/71 (i)]

G.S.R. 95-96.—In pursuance of sub-rule (2) of rule 9 of the Post Office Savings Banks Rules, 1965, the Central Government hereby notifies that,—

(a) with effect from the 1st January, 1971 and until further orders interest on a blocked deposit, a single account, a joint account and a provident fund account, referred to in the said sub-rule, shall be allowed at the rates specified in the Table below:—

TABLE

(1)	(2)	(3)
1. For every Rs. 100 in a blocked deposit for a period of 2 years	$4\frac{1}{2}$ per cent approximately per annum (compound)	Amount payable at the end of 2 years Rs. 109·20.
2. For every Rs. 100 in a blocked deposit for a period of 3 years	$4\frac{1}{2}$ per cent approximately per annum (compound)	Amount payable at the end of 3 years Rs. 114.
3. Minimum balance held throughout the financial year in a single account, joint account or provident fund account, after excluding the amount, if any, held in a blocked deposit, provided such minimum balance is not less than Rs. 100.	$4\frac{1}{2}$ per cent per annum.	

(b) in respect of a blocked deposit for a period of two years, made before 1st January, 1971, the amount payable for every Rs. 100 shall be as set out in the Table below:—

TABLE

Unexpired complete months to maturity on 1-1-1971	Maturity value Rs.
(1)	(2)
15	109·02
16	109·03
17	109·04
18	109·05
19	109·07
20	109·09
21	109·11
22	109·13
23	109·16

[No. F. 2(1)-NS/71 (ii).]

सा०का०नि० 95-96.—डाकघर रक्षा बैंक नियम, 1965 के नियम 9 के उपनियम (2) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि :—

(क) 1 जनवरी, 1971 को और उसके पश्चात् [illegible] निर्दिष्ट अवरुद्ध निक्षेप, एकल [illegible] निम्नलिखित सारणी में निर्दिष्ट दर पर [illegible] :—

सारणी

(1)	(2)	(3)
1. 2 वर्ष की कालावधि के लिए अवरुद्ध निक्षेप में प्रत्येक 100 रु० के लिए,	लगभग 4½ प्रतिशत (चक्रवृद्धि)	2 वर्ष की समाप्ति पर संदेय रकम, 109.20 रु०
2. 3 वर्ष की कालावधि के लिए अवरुद्ध निक्षेप में प्रत्येक 100 रु० के लिए।	लगभग 4½ प्रतिशत (चक्रवृद्धि)	3 वर्ष की समाप्ति पर संदेय रकम, 114 रु०
3. एकल खाता, संयुक्त खाता या [illegible] निधि खाता में, अवरुद्ध निक्षेप में धारित रकम, यदि कोई हो, को अपवर्जित करने के पश्चात् पूरे [illegible] वर्ष भर में धारित न्यूनतम अतिशेष पर, परन्तु यह तब जब कि न्यूनतम अतिशेष 100 रु० से अन्यून हो।	4½ प्रतिशत प्रति वर्ष	

(ख) उक्त अधिसूचना के बारे में, जो 2 वर्ष की कालावधि के लिए 1 जनवरी, 1971 से पूर्व किया गया है, प्रत्येक 100 रु० के लिए संदेय रकम वह होगी, जो निम्नलिखित सारणी में उपवर्णित है ।

सारणी

1-1-71 को परिपक्वता के अवधि का पूर्ण मास	परिपक्वता मूल्य रु०
(1)	(2)
15	109.02
16	109.03
17	109.04
18	109.05
19	109.07
20	109.09
21	109.11
22	109.13
23	109.16

[सं० वि० 2(1)-रा० ब०/71 (ii)]

G.S.R. 97.—In exercise of the powers conferred by section 12 of the Government Savings Certificates Act, 1959 (46 of 1959), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Government Savings Certificates Rules, 1965, namely:—

1. (1) These rules may be called the Government Savings Certificates (Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall come into force at once.

2. In rule 26 of the Government Savings Certificates Rules, 1965 (hereinafter referred to as the said rules), for the Table below sub-rule (4), the following Table shall be substituted, namely:—

TABLE

Surrender values of 7-Year National Savings Certificates (IV Issue)—Bank Series

Face value	Rs. 100	Rs. 1,000	Rs. 5,000
	Rs.	Rs.	Rs.
Surrender value after expiry of 3 years but before expiry of 4 years from the date of issue	98·00	980·00	4,900·00
Surrender value after expiry of 4 years but before expiry of 5 years from the date of issue	98·00	980·00	4,900·00
Surrender value after expiry of 5 years but before expiry of 6 years from the date of issue	98·50	985·00	4,925·00
Surrender value after expiry of 6 years but before expiry of 7 years from the date of issue	98·50	985·00	4,925·00
After 7 complete years	100·00	1,000·00	5,000·00

3. In rule 26A of the said rules, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(2) Interest on 7-Year National Savings Certificates (IV Issue)—Bank Series shall be payable annually at 7 per cent:

Provided that in respect of a certificate purchased before the 15th January, 1971, the rate of interest payable in the first year shall be as specified in the Table below:—

Unexpired complete months on 15-1-1971 in the first year	Interest payable
(1)	(2)
2	7·29 per cent
3	7·31 ,,
4	7·33 ,,
5	7·35 ,,
6	7·37 ,,
7	7·40 ,,
8	7·42 ,,
9	7·44 ,,
10	7·46 ,,
11	7·48 ,,

[No. F. 2(1)-NS/71 (IV).]

सा०का०नि० 97.—सरकारी बचत प्रमाणपत्र अधिनियम, 1959 (1959 का 46) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा सरकारी बचत प्रमाणपत्र नियम 1965 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम सरकारी बचत प्रमाणपत्र (संशोधन) नियम, 1971 कहे जा सकेंगे।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. सरकारी बचत प्रमाणपत्र नियम, 1965 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 26 में, उपनियम (4) के नीचे की सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

सारणी

7 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों (IV पुरोधरण)—बैंकआवलि का अभ्यर्पण मूल्य

अंकित मूल्य	100 रु०	1,000 रु०	5,000 रु०
जारी किए जाने की तारीख से 3 वर्ष के अवसान के पश्चात् किन्तु 4 वर्ष के अवसान से पूर्व अभ्यर्पण मूल्य . . .	93.00	930.00	4,900.00
जारी किए जाने की तारीख से 4 वर्ष के अवसान के पश्चात् किन्तु 5 वर्ष के अवसान से पूर्व अभ्यर्पण मूल्य . . .	93.00	930.00	4,900.00
जारी किए जाने की तारीख से 5 वर्ष के अवसान के पश्चात् किन्तु 6 वर्ष के अवसान से पूर्व अभ्यर्पण मूल्य	98.50	985.00	4,925.00
जारी किए जाने की तारीख से 6 वर्ष के अवसान के पश्चात् किन्तु 7 वर्ष के अवसान से पूर्व अभ्यर्पण मूल्य	93.50	935.00	4,925.00
7 सम्पूर्ण वर्षों के पश्चात् . .	100.00	1,000.00	5,000.00

3. उक्त नियमों के नियम 26क में, उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(2) 7—वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों (IV पुरोधरण)—बैंकआवलि पर ब्याज 7½ प्रतिशत की दर से संदेय होगा :

परन्तु उन प्रमाण पत्रों की बाबत जो 15 जनवरी, 1971 से पूर्व क्रय किए गए हैं, प्रथम वर्ष में संदेय ब्याज की दर ऐसी होगी जैसी कि नीचे की सारणी में विनिर्दिष्ट की गई है :

प्रथम वर्ष में 15-1-1971 को अनवसित मास	संपूर्ण संदेय ब्याज
(1)	(2)
2	7.29 प्रतिशत
3	7.31 ,,
4	7.33 ,,
5	7.35 ,,
6	7.37 ,,
7	7.40 ,,
8	7.42 ,,
9	7.44 ,,
10	7.46 ,,
11	7.48 ,,

[सं० वि० 2(1)-रा०ब०/71 (IV)]

G.S.R. 98-99.—In exercise of the powers conferred by section 12 of the Government Savings Certificates Act, 1959 (46 of 1959), the Central Government hereby makes the following rules to amend the National Savings Certificates (IV Issue) Rules, 1970, namely:—

1. (1) These rules may be called the National Savings Certificates (IV Issue) (Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall come into force at once.

2. In rule 18 of the National Savings Certificates (IV Issue) Rules, 1970 (hereinafter referred to as the said rules), in sub-rule (1)—

(a) for the letters, figures and words "Rs. 4 for every Rs. 100", the letters, figures and words "Rs. 2 for every Rs. 100" shall be substituted;

(b) for the letters, figures and words "Rs. 3 for every Rs. 100", the letters, figures and words "Rs. 1.50 for every Rs. 100" shall be substituted.

3. For rule 19 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:—

"19. *Interest.*—Interest at 7½ per cent per annum shall be payable at the end of each completed year, but no tax will be deducted at the time of the payment of the interest;

Provided that in respect of a certificate purchased before the 15th January, 1971, the rate of interest payable in the first year shall be as specified in the Table below:—

TABLE

Unexpired complete months on 15-1-1971 in the first year (1)	Interest payable (2)
2	7·29 per cent
3	7·31 ,,
4	7·33 ,,
5	7·35 ,,
6	7·37 ,,
7	7·40 ,,
8	7·42 ,,
9	7·44 ,,
10	7·46 ,,
11	7·48 ,,

[No. F. 2(1)-NS/71 (V).]

B. MAITHREYAN, Jt. Secy.

सा० का० नि० 98—99.—सरकारी बचत प्रमाणपत्र अधिनियम, 1959 (1959 का 46) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (IV पुरोधरण) नियम, 1970 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (IV पुरोधरण) (संशोधन) नियम, 1971 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

2. राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (VI पुरोधरण) नियम, 1970 के नियम 18 में (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), उपनियम (1) में :—

(क) "प्रत्येक 100 रु० के लिए 4 रु०" अक्षरों, अंकों और शब्दों के स्थान पर "प्रत्येक 100 रु० के लिए 2 रु०" अक्षर, अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) "प्रत्येक 100 रु० के लिए 3 रु०" अक्षरों, अंकों और शब्दों के स्थान पर "प्रत्येक 100 रु० के लिए 1.50 रु०" अक्षर, अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

3. उक्त नियमों के नियम 19 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

"19. ब्याज—प्रत्येक संपूरित वर्ष के अन्त में 7½ प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज संदेय होगा, किन्तु ब्याज के संदाय के समय कर की कोई कटौती नहीं की जाएगी :

परन्तु 15 जनवरी, 1971 से पूर्व क्रय किए गए प्रमाणपत्र की बाबत प्रथम वर्ष में संदेय ब्याज की दर ऐसी होगी जैसा कि नीचे की सारणी में विनिर्दिष्ट की गई है :—

सारणी

प्रथम वर्ष में 15-1-1971 को अनवसित संपूर्ण मास	संदेय ब्याज
(1)	(2)
2.	7.29 प्रतिशत
3.	7.31 ,,
4.	7.33 ,,
5.	7.35 ,,
6.	7.37 ,,
7.	7.40 ,,
8.	7.42 ,,
9.	7.44 ,,
10.	7.46 ,,
11.	7.48 ,,

[सं० फा० 2(1)-रा० ब०/71(V)]

बी० मैत्रयन, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971